न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 273/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–श्यामसिह पुत्र स्व0 मूलसिह उर्फ मूला जाति माली परिहार निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर 2– सम्पतसिह पुत्र स्व0 मूलसिह उर्फ मूला जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 3– श्रीमती कमला पुत्री स्व0 मूलसिह उर्फ मूला पत्नी आनन्दसिह गहलोत जाति माली निवासी बडा बेरा मण्डोर, जोधपुर 4– श्रीमती अहिल्या पुत्री स्व0 मूलसिह उर्फ मूला पत्नी जेठूसिह जाति माली निवासी नया बास, बालसमंद मण्डोर जोधपुर 5– श्रीमती कमला पुत्री स्व0 मूलसिह उर्फ मूला पत्नी विजयसिह निवासी भियाली बेरा, मण्डोर जोधपुर 6– श्रीमती किरण पुत्री स्व0 मूलसिह उर्फ मूला पत्नी मदनसिह निवासी चुतरावता बेरा, मण्डोर जोधपुर		1– गणपतसिह पुत्र स्व0 मांगीलाल गोदपुत्र स्व0 भूरजी जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 2– ब्रहमसिह पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 3– प्रेमसिह पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 4– महेन्द्रसिह पुत्र स्व0 मांगीलाल जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 5– राकेश पुत्र भीखाराम जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर 6– मंगलसिह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 7– बलवीर सिह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी परिहारो का बास, मगरा पूंजला जोधपुर 8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2016 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 243/2011 अनवान श्यामसिह वगैरा बनाम गणपतसिह वगैरा मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री चेतन राम जाखड अधिवक्ता रेस्पो0गण संख्या 1, 6 व 7 की ओर से ।
3– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0गण 2 से 5 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–12–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड शुद्धि करवाने का पेश कर कथन किया कि ग्राम बासनी मालियान के खसरा नंबर 56 रकबा 5.13 बीघा, खसरा नंबर 66 रकबा 7.05 बीघा, खसरा नंबर 3 रकबा 3.10 बीघा, खसरा नंबर 52 रकबा 7 बीघा कुल 4 खसरान की 23.08 बीघा भूमि के संबंध मे रियासत जोधपुर राज मारवाड द्वारा दिनांक 4–5–1943

को बापी पट्टा खातेदार देवा बेटा तेजा, मांगीलाल, मूला बेटा देवा व सूरजमल बेटा चुतरा के नाम जारी किया गया जिसकी खतौनी मौजा बासनी मालियान की जोधपुर गवर्नमेंट द्वारा संवत 1999 को जारी हुई जिसमे खातेदार देवा बेटा तेजा, मांगीलाल, मूला बेटा देवा व सूरजमल बेटा चतुरा दर्ज है अथार्त उक्त आराजी मे तीन खातेदार दर्ज है तथा तीनो सहखातेदारो का बराबर हक हिस्सा बनता है तथा उक्त भूमि बाबत रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी संवत 2018–2021 मे उक्त भूमि की खातेदारी देवा बेटा तेजा, मूला बेटा देवा व सूरजमल बेटा चुतरा दर्ज है । उक्त इन्द्राज संवत 2038 से 2041 तक रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज चलता रहा परंतु जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे तो उक्त इन्द्राज यथावत रहा पंरतु जमाबंदी के कॉलम 15,!6 व 17 मे नोट लगाकर इन्द्राज किया कि नामांतरकरण संख्या 72 मांगीलाल पुत्र देवाराम, राकेश पुत्र भीखा, गणपत पुत्र भूराराम, उदयसिह, खेमसिह पिता सूरजमल माली सा0 देह दर्ज किया हुआ है । उक्त म्युटेशन संख्या 72 सहखातेदार देवा एवं सूरजमल के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया जिसमे तीसरे सहखातेदार मूला पुत्र देवा की सहखातेदारी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या दस्तावेज के हटा दी जाने पर अपीलांटगण ने उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत रेवेन्यु रेकर्ड मे जो त्रुटि थी, उसको सुधारने के संबंध मे कोई आदेश पारित नही किया तथा बिना राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2016 के द्वारा अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1, 6 व 7 अधिवक्ता दोनो ने लिखित बहस पेश की, जो शामिल पत्रावली है तथा रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने अपनी मौखिक बहस की जिसमे रेस्पो0 संख्या 1, 6 व 7 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलाधीन खसरा नंबरान की भूमि का बापी पट्टा रियासत जोधपुर राज मारवाड द्वारा दिनांक 4–5–1943 को खातेदार देवा बेटा तेजा, मांगीलाल, मूला बेटा देवा व सूरजमल बेटा चुतरा के नाम जारी किया गया था, जिसकी खतौनी मौजा बासनी मालियान की जोधपुर गवर्नमेंट द्वारा संवत 1999 को जारी हुई जिसमे भी इन्ही खातेदारान का नाम दर्ज है अथार्त उक्त आराजी मे तीन खातेदार देवा बेटा तेजा, मांगीलाल, मूला बेटा देवा व सूरजमल बेटा चुतरा दर्ज है तथा तीनो सहखातेदारो का बराबर हक हिस्सा बनता था तथा रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी संवत 2018–2021 मे उक्त भूमि की खातेदारी भी इन्ही खातेदारान देवा बेटा तेजा, मूला बेटा देवा व सूरजमल बेटा चुतरा दर्ज है । उक्त इन्द्राज संवत 2038 से 2041 तक रेवेन्यु रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज चलता रहा परंतु जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 मे तो उक्त इन्द्राज यथावत रहा पंरतु जमाबंदी के

कॉलम 15,!6 व 17 मे नोट लगाकर इन्द्राज किया कि नामांतरकरण संख्या 72 मांगीलाल पुत्र देवाराम, राकेश पुत्र भीखा, गणपत पुत्र भूराराम, उदयसिह, खेमसिह पिता सूरजमल माली सा0 देह दर्ज किया हुआ है । उक्त फोतेदगी म्युटेशन संख्या 72 सहखातेदार देवा एवं सूरजमल के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया जिसमे तीसरे सहखातेदार मूला पुत्र देवा की सहखातेदारी बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या दस्तावेज के हटा दी जाने पर अपीलांटगण ने उक्त त्रुटि को दुरस्त करवाने बाबत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित नही किया तथा अपीलांटगण की अपील को बिना किसी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये उनके समक्ष अपीलांटगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांटगण ने नामांतरकण संख्या 72 के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपील संख्या 71/2011 अनवान श्यामसिह वगैरा बनाम गणपतसिह वगैरा मे निर्णय दिनांक 14–12–2015 पारित करते हुए अपीलांटगण की अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए देवा पुत्र तेजा एवं सूरजमल पुत्र चतरा के हिस्से की भूमि छोडते हुए मूला पुत्र देवा की सहखातेदारी हिस्सेदारी की भूमि जो कथित भुरा पुत्र देवा के वारिसान गणपत पुत्र देवा के पक्ष मे किये गये अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को मूला पुत्र देवा के विधिक प्रतिनिधियो एवं प्रभावित प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दो माह मे पुनः म्युटेशन की कार्यवाही के निर्देश दिये ।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस मे कथन किया कि सेटलमेंट के वक्त से ही रेस्पो0 भूरा पुत्र देवा की खातेदारी रेवेन्यु रेकर्ड मे दर्ज नही रही तथा उक्त विवादित म्युटेशन संख्या 72 फोतेदगी का स्वीकृत करने से पूर्व जमाबंदी मे विवादित भूमि की खातेदारी मूला पुत्र देवा के नाम दर्ज थी न कि भूरा पुत्र देवा के नाम । परंतु राजस्व कर्मचारियो ने रेकर्ड की अनदेखी करते हुए मूला पुत्र देवा की खातेदारी समापत कर भूरा पुत्र देवा की खातेदारी दर्ज कर दी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर को पुनः खातेदारी मूला पुत्र देवा के नाम दर्ज करने के निर्देश पारित करने चाहिये थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसके विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अपीलाधीन निर्णय मे यह कहते हुए धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारीज किया है कि अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर ने म्युटेशन संख्या 72 निरस्त कर दिया है इसलिए उक्त प्रकरण मे आदेश देने की आवश्यकता नही है जबकि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष अपीलांटगण ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती का

निवेदन किया था जबकि जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष म्युटेशन संख्या 72 को निरस्त करने बाबत म्युटेशन की अपील पेश की थी अथार्त दोनो प्रकरण भिन्न भिन्न थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसे एक समान प्रकरण मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने निर्णय के द्वारा म्युटेशन संख्या 72 को निरस्त कर दिया था अथार्त विवादित म्युटेशन को जिला कलेक्टर ने विधिविरूद्ध होना मानते हुए निरस्त कर दिया था । ऐसे मे उक्त म्युटेशन संख्या 72 निरस्त होते ही रेस्पो0 भूरा पुत्र देवा की खातेदारी स्वतः ही समाप्त हो चुकी थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय को स्वीकार करते हुए पुनः मूला पुत्र देवा के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना चाहिये था चूँकि मूला पुत्र देवा की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उसके स्थान पर अपीलांटगण का नाम खातेदारी मे दर्ज करने बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विचार किये ही अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे प्रकरण अप्रार्थीगण के जवाब मे लंबे समय तक चल रहा था तथा जवाब हेतु अवसर अप्रार्थीगण को ऑन कोस्ट 100/– पर दिया था परंतु अप्रार्थीगण ने कोस्ट की राशि भी जमा नही कराई तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब ही पेश किया तथा पत्रावली जवाब मे विचाराधीन होते हुए भी पत्रावली को केम्प मे ले जाकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि सी.पी.सी. के प्रावधान अनुसार जवाब आने के बाद ही पत्रावली को बहस मे रखी जानी चाहिये थी तथा उसके पश्चात अंतिम निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन मे विधिक प्रावधानो के परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया , जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–7–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 गण ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस मे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 15–7–2016 को पारित किये गये आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील 5 माह के विलंब से पेश की है तथा विलंब को संतोषजनक कारण नही होने से अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 72 जो कि वर्ष 1983 मे स्वीकृत हुआ था जिसके द्वारा मूला का नाम हटाया गया था, उक्त म्युटेशन स्वीकृति के 28 वर्ष बाद अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र अत्यधिक देरीना पेश किया, जो पोषणीय नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0गण ने लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि अपीलांटगण ने उक्त नामांतरकरण संख्या 72 के विरूद्ध पूर्व मे जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष म्युटेशन अपील पेश की थी जिसमे जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 14–12–2015 के द्वारा उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को रिमाण्ड किया था, परंतु अपीलांट ने उन्ही तथ्यो के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय मे यही अभिमत देते हुए अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे कोई विधिक त्रुटि नही की है । वकील रेस्पो0गण ने यह भी अवगत कराया कि जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2015 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत कर दी है, जो विचाराधीन है । अतः अपीलांटगण जिस म्युटेशन संख्या 72 के द्वारा राजस्व रेकर्ड से मूला का नाम हटाना कहते है, उसके बाबत जिला कलेक्टर जोधपुर के न्यायालय से पारित निर्णय की निगरानी के विचाराधीन रहते इस अपील के जरिये अपीलांटगण को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है इसलिए अपीलांटगण की यह अपील खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी कथन किया कि मौजा बासनी मालियान की भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7 बीघा पर काबिज खातेदारान काश्तकारान मांगीलाल पुत्र देवा, राकेश पुत्र भीखा, गणपत पुत्र भुरा एवं उदयसिह,खेमसिह पुत्रान सुरजमल ने दिनांक 6–2–90 को उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान मंगलसिह पुत्र बलवीरसिह को कर दिया था तथा रजिस्टर्ड बेचान से खरीद के आधार पर रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने उक्त खसरा नंबर 52 की 7 बीघा भूमि को धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी उपायुक्त उत्तर जोधपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर दिनांक 8–2–2011 के द्वारा खातेदारी अधिकारो का प्रर्यावसान कर राज्य मे निहित कर पुनग्रहित कर जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधीन रखा गया । उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 15–4–2011 को नामांतरकरण संख्या 704 स्वीकृत कर भूमि खसरा नंबर 52 का रकबा 7 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी गई । अतः भूमि खसरा नंबर 52 के खातेदारी अधिकार राज्य हक मे पर्यावसान हो जाने के बाद एवं उक्त कार्यवाही को चेलेंज किये बिना इस भूमि के बारे मे अपीलांटस किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से अपीलांट की यह अपील खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0गण ने यह भी अवगत कराया कि उक्त खसरानंबर 52 की 7 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने के बाद उक्त खसरा नंबर की भूमि पर आवासीय योजना बनाकर इसमे 66 प्लोट काट कर वर्ष 2011 मे ही विभिन्न व्यक्तियो को जरिये रजिस्ट्री भूखण्डो का बेचान किया जा चुका है अतः उक्त भूमि वर्ष 2011 के बाद कृषि भूमि नही रही तथा इस भूमि पर विभिन्न व्यक्तियो का कब्जा एवं स्वामित्व होने से उन व्यक्तियो को पक्षकार बनाये बिना इस भूमि के बारे मे अपीलांटगण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने का

अधिकारी नही है । वकील रेस्पो0गण ने अपनी लिखित बहस के साथ उक्त आवासीय योजना भोले भण्डारी नगर एवं भूखण्डधारियो की सूची भी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है ।

वकील रेस्पो0गण ने लिखित बहस मे यह भी अवगत कराया कि अपीलाधीन भूमि के सबंध मे एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर जोधपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे अपीलांट भी पक्षकार है अतः भूमि के बारे मे नियमित वाद विचाराधीन होने से भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही पोषणीय नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया तथा इस अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो तथा लिखित बहस के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का भी अध्ययन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलांटगण ने नामांतरकरण संख्या 72 ग्राम बासनी मालियान के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अपील पेश की थी जिसके अपील संख्या 71/2011 पडे तथा उक्त अपील का निर्णय दिनांक 14–12–2015 को पारित किया गया जिसमे "अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार करते हुए देवा पुत्र तेजा व सूरजमल पुत्र चतरा के हिस्से की भूमि को छोडते हुए मूला पुत्र देवा की सहखातेदारी हिस्सेदारी की भूमि जो कथित भूरा पुत्र देवा के वारिसान गणपत पुत्र देवा के पक्ष मे किये गये अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को मूला पुत्र देवा के विधिक प्रतिनिधियो एवं प्रभावित प्रत्यर्थीपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दो माह मे पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।"

अपीलांटगण की उक्त म्युटेशन अपील के विचाराधीन रहते अपीलांटगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेकर्ड शुद्धि करवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनांक 9–11–2011 को प्रस्तुत किया था । धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट के उक्त प्रार्थना पत्र मे भी अपीलांटगण ने नामांतरकरण संख्या 72 मे किये गये गलत एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त करने का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 15–7–2016 मे जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 14–12–2015 मे दिये गये निर्देशो का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय मे यह माना है कि अपीलांट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो अनुतोष चाहा है, वह अनुतोष प्रार्थीगण को जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–12–2015 से प्राप्त हो चुका है इसलिए धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे अलग से कोई आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही मानते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया है, जो समर्थन योग्य प्रतीत होता है ।

उपरोक्त घटनाक्रम से प्रकट होता है कि वस्तुतः यह प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लिपिकीय त्रुटि से सम्बद्ध नही होकर विधिविरूद्ध नामांतरकरण संख्या 72 स्वीकृति बाबत है, जिसके विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष अपील पेश करने पर जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्णय दिनांक 14–12–2015 के द्वारा अपीलांटगण की अपील को आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर मूला पुत्र देवा के विधिक प्रतिनिधियो एवं प्रभावित प्रत्यर्थीपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए दो माह मे पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया गया है अथार्त अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित निर्णय से प्राप्त हो चुका है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2016 विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

हालांकि जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 14–12–2015 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे रेस्पो0गण द्वारा निगरानी पेश कर रखी है जो विचाराधीन होना बताया, ऐसे मे उक्त निगरानी मे पारित निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जायेगा ।

वर्तमान अपील मे रेस्पो0गण के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस मे अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 52 मे से 7 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान होना तथा उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण होकर आवासीय प्लोट कांट कर वर्ष 2011 मे ही विभिन्न व्यक्तियों को जरिये रजिस्ट्री बेचान किया जाना अवगत कराया है । हालांकि उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही म प्रकट नही किया गया था फिर भी उक्त तथ्य के परिपेक्ष्य मे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15–7–2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर